प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक-31 मार्च, 2016

विषय- प्रदेश की 67 कारागारों में निरूद्व बन्दियों को अपने परिजनों से दूरभाष पर वार्ता किये जाने की सुविधा प्रदान किये जाने के लिए पीसीओ की स्थापना हेतु धनराशि के अग्रिम भुगतान की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-46154(ए)/आधु-1/पीसीओ/2014, दिनांक 03 नवम्बर, 2015, पत्र संख्या- 49204/आधु-1/पीसीओ/2014, दिनांक 08 दिसम्बर, 2015 एवं पत्र संख्या-1374/आधु-1/पीसीओ/2014, दिनांक 13.01.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की 67 कारागारों में निरूद्व बंदियों को अपने परिजनों से दूरभाष पर वार्ता किये जाने की सुविधा प्रदान किये जाने के लिए पीसीओ की स्थापना हेतु शासानादेश संख्या-125/2015/620/22-4-15-48(75)/15, दिनांक 08 जून, 2015 द्वारा रू0 370.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2- अत: सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय प्रदेश की 67 कारागारों में पीसीओ की स्थापना हेतु स्वीकृत उक्त धनराशि के सापेक्ष रू0 3,48,90,842/-(रूपया तीन करोड़ अड़तालीस लाख नब्बे हजार आठ सौ बयालिस मात्र) की धनराशि भारत संचार निगम लि0 को अग्रिम के रूप में उपलब्ध कराने हेतु अग्रिम आहरण की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) लागत का निर्धारण टेण्डर के माध्यम से किया जायेगा, जिसकी सभी अनुमन्य कर तथा लागत शुल्क सहित 01 अदद सिंगल क्योस्क बूथ की लागत रू0 3,60,990/- एवं 01 अदद डबल क्योस्क बूथ की लागत रू0 6,22,082/- से अधिक नहीं होगी।

(2) प्रश्नगत अग्रिम आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनांक 25.10.83 तथा संख्या-ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69, दिनांक 10.06.2011 में निहित शर्तों/प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(3) समस्त सम्बन्धित वित्तीय नियमों, प्रक्रिया और इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) उक्त धनराशि का समायोजन दिनांक 31.03.2016 तक कर लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) उक्त धनराशि के आहरण में से यदि कोई हानि होती है, तो उसके लिए आहरण-वितरण अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

2- यह आदेश वित्त (लेखा) अनुभाग की अशासकीय संख्या-एफ0ए0-1-125/दस-2016, दिनांक 29 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

संख्या-36/2016/70(1)/22-4-16-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) महाप्रबंधक, दूर संचार उ0प्र0 पूर्वी परिमण्डल, भोपाल हाउस, लालबाग, लखनऊ।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।